वर्ष.....किस्म.....उनवान.....

...यालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

फर्द अहकाम

...तांक		
3	पत्रावली पेश हुई। न्यायालय व न्यायालय वकील उप० नहीं। प्रकरण में बार-बार न्यायालय व न्यायालय वकील को आवाज दिलवायी गयी। आवाज दिलवाने के बावजूद न्यायालय व न्यायालय वकील उप० नहीं। प्रार्थिया के पति द्वारा दिनांक 27-6-22 को रात्रि 8 बजे मारपीट करने में रात्रि में मृत्यु हो गई है। प्रकरण आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। प्रकरण दिनांक 27-6-22 को रात्रि 8 बजे मारपीट में विवाराधीन है। अ०सं० 93/22 T-I अशोक बनाम सीताराम अदम पैरवी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:27:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner